

<p>Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.</p> <p>The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
---	--	--

[F.No. 13012/08/2013-Academy Desk]

O. P. CHAWLA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 101.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध रेसेप्सनिस्ट (स्वागती) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्वागतकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्वागतकर्ता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वागतकर्ता समूह 'ग'	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक : किमी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ किमी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अधीन पेनलित अस्पताल के स्वागतकर्ता में व्यवसाय का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुमूचित जातियों या अनुमूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किमी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति :</p> <p>केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>या</p> <p>केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा आवश्यक अपेक्षित अर्हता है।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. संबद्ध विभाग का प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 3. निदेशक या उप निदेशक प्रशासन, (चिकित्सीय अस्पताल अनुभाग के भारसाधक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उप निदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/09/2002 - भ. नि. (एम एच-III)]

संजय पंत, अवर सचिव

